


कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा -
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1982/214/आउशि/सग./2021
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04/10/2021

- 1 कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय (छ.ग.)।
- 2 प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय छ.ग.।



विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश तिथि में वृद्धि बाबत।
संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र. क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 01.10.2021

---000---

उपर्युक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किया गया था। विभागीय समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 01.09.2021 द्वारा कुलपति की अनुमति से दिनांक 30.09.2021 प्रवेश दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए छात्रहित में सीट रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु कुलपति की अनुमति से दिनांक 09.10.2021 तक प्रवेश दिये जाने की तिथि में राज्य शासन द्वारा प्रवेश तिथि में वृद्धि की गई है।

शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए स्वीकृत सीट्स के विरुद्ध शत-प्रतिशत प्रवेश कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार।

04.10.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.10/2021

पृ. क्रमांक 1983 / 214 / आउशि / सम. / 2021
प्रतिलिपि :-

अवर सचिव छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर को
संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।

04.10.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

ed by the
examination.
regarding the

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालयः

महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर, रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2
प्रति

नया रायपुर अटल नगर, रायपुर

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर,
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय - छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश
विधि में वृद्धि बाबत।

संदर्भ - आपकी आपन क्रमांक 1980/214/आउशि/सग/2021 दिनांक 01.10.2021

-----00-----

इस विभाग के समसूच्यक आपन दिनांक 03.07.2021 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के
शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका जारी की गई है। विभागीय
समसूच्यक आपन दिनांक 01.09.2021 द्वारा कुलपति की अनुमति से दिनांक 30.09.2021
तक प्रवेश दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

एतादृश ही शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति में प्रवेश हेतु कुलपति की अनुमति से
दिनांक 01.10.2021 तक प्रवेश दिये जाने की विधि में राज्य शासन एतादृश वृद्धि करने की
अनुमति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गीरीशकर शर्मा)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग